



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252946  
CG-DL-E-13032024-252946

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 165]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सा.का.नि. 177(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम पैरा 6 और पैरा 7, जो 01 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगे, के सिवाय, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 3 में, खंड 22 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“22क. “निक्षेपण केंद्र” से घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के संग्रहण के लिए ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016’ में विनिर्दिष्ट निक्षेपण केंद्र अभिप्रेत है।”;

3. उक्त नियमों के नियम 6 में, उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1ख) निक्षेपण केंद्रों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(1ग) निक्षेपण केन्द्रों को घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को निपटान सुविधा के वास्तविक प्रयोक्ता या प्रचालक को देना होगा और इससे संबंधित अभिलेख प्ररूप 3 में रखना होगा तथा प्ररूप 4 में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को वार्षिक विवरणी फाईल करनी होगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 में, उपनियम (1) के परंतुक में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) छोटे सृजनकर्ता (पांच से दस टन प्रतिवर्ष के बीच) उनकी वार्षिक क्षमता के एक सौ अस्सी दिन तक और छोटे सृजनकर्ता (पांच टन प्रतिवर्ष से कम) उनकी वार्षिक क्षमता के तीन सौ पैंसठ दिन तक";

5. उक्त नियमों के नियम 12 के, उपनियम (6ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6ख) 'पश्च-औद्योगिक या पूर्व-उपभोक्ता पॉलीएथलीन अपशिष्ट' का आयात कुल वार्षिक व्यापारावर्त के न्यूनतम पैंतीस प्रतिशत के निर्यात की अपेक्षा के साथ अनुज्ञेय होगा।";

6. उक्त नियमों के नियम 29 में, उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(7) उपपैरा (6) के अधीन स्थापित मंच का प्रचालन और विनियमन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों को नियत करेगा जो कि नियम 39 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के न पूरा किए जाने की स्थिति में पर्यावरणीय प्रतिकर का क्रमशः शत प्रतिशत और तीस प्रतिशत के बराबर होगा।

(9) पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत निकायों के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की विनिमय दर उपनियम (8) में निर्दिष्ट उच्चतम और न्यूनतम मूल्य के बीच होगी।"

7. उक्त नियमों के नियम 30 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(5) विवरणी को भरने की समय-सीमा में छूट- केंद्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में या इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा किसी भी समयावधि में जिसके भीतर किसी उत्पादक, संग्रह अभिकर्ता, पुनःचक्रण और प्रयुक्त तेल आयातक को इन नियमों के अधीन विवरणी या रिपोर्ट भरी जानी होती है, में अगली अवधि तक जो कि नौ मास से अधिक नहीं होगी, छूट दे सकती है।"

8. उक्त नियमों की अनुसूची III में, भाग ख में, मद संख्यांक ख 3 के अधीन, बेसल सं. 3011 के सामने प्रविष्टि 'पॉलीएथलीन टेरेफ्थलेट' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

- पॉलिसिलोक्सेन-केवल पश्च औद्योगिक या पूर्व उपभोक्ता

9. उक्त नियमों की अनुसूची VI में, मद संख्यांक ख 3 के अधीन, स्तंभ (2) में बेसल सं. 3011 के सामने 'पॉलिसिलोक्सेन' शब्द का लोप किया जाएगा;

10. उक्त नियमों की अनुसूची IX में,

(i) पैरा 6 के उपपैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(6) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के विनिमय या अंतरण के लिए एक या एक से अधिक मंच स्थापित कर सकेगी।

(7) उपपैरा (6) के अधीन स्थापित मंच का प्रचालन और विनियमन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक के अनुसार किया जाएगा।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों को नियत करेगा जो कि इस अनुसूची के पैरा 10 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के न पूरा किए जाने की स्थिति में पर्यावरणीय प्रतिकर का क्रमशः शत प्रतिशत और तीस प्रतिशत के बराबर होगा।

(9) पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत निकायों के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की विनिमय दर उपपैरा (8) में निर्दिष्ट उच्चतम और न्यूनतम मूल्य के बीच होगी।"

(ii) पैरा 8 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8.(क) रिट्रेडर के उत्तरदायित्व – (1) सभी रिट्रेडर उनके द्वारा रिट्रेड किए गए टायरों की मात्रा, उत्पन्न रिट्रेडिंग प्रमाण-पत्र और ऐसी अन्य सुसंगत सूचनाएं मासिक आधार पर पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

(2) सभी रिट्रेडर विनिर्दिष्ट प्ररूप में वार्षिक और तिमाही विवरणियां संबंधित तिमाही की समाप्ति के पश्चात् उत्तरवर्ती मास के अंत तक या इससे पहले पोर्टल पर फाईल करेगा।”

(iii) पैरा 9 के उपपैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) विवरणी को भरने की समय-सीमा में छूट- केंद्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में या इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा किसी भी समयावधि में जिसके भीतर किसी उत्पादक, संग्रह अभिकर्ता, पुनःचक्रण और प्रयुक्त तेल आयातक को इन नियमों के अधीन विवरणी या रिपोर्ट भरी जानी होती है, में अगली अवधि तक जो कि नौ मास से अधिक नहीं होगी, छूट दे सकती है।”

11. उक्त नियमों के प्ररूप (2) में, शीर्षक 'क के अधीन प्राधिकार की सामान्य शर्तें' में खंड 14 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"15.(i) अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे अग्नि, प्राकृतिक आपदा, रसायनिक रिसाव आदि के कारण कभी-कभी सृजित होने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों को इसके अधिभोगी के द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए निपटान सुविधा के प्रचालक के या वास्तविक प्रयोक्ता के पास भेज दिया जाएगा।

(ii) परिसंकटमय अपशिष्ट जो प्राधिकृत परिसरों में स्वीकृत विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से सृजित होता है किसी ऐसे अपशिष्ट की पहचान होने से एक मास के भीतर प्राधिकार में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु यह दशा में लागू नहीं होगा जब उत्पादन स्वीकृत क्षमता से ज्यादा किया गया हो।”

[फा. सं. 23/151/2022-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 395(अ) तारीख 04 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 677(अ) तारीख 18 सितम्बर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

**G.S.R. 177(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except para 6 and para 7 of these rules, which shall come into force from the 1<sup>st</sup> Day of April, 2024.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after clause 22, the following clause shall be inserted, namely:-

“22A. “deposition centers” means the deposition centre specified in the Solid Waste Management Rules, 2016 for collection of domestic hazardous wastes.”;

3. In rule 6 of the said rules, after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1B) The deposition centers shall obtain authorization from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned.

(1C) The deposition centers shall provide the domestic hazardous waste to the actual user or operator of the disposal facility and maintain records of the same in Form 3 and shall file annual return in Form 4 to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1) in the proviso, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) small generators (between five to ten tonnes per annum) up to one hundred and eighty days of their annual capacity and small generators (less than five tons per annum) up to three hundred and sixty five days of their annual capacity”;

5. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (6B), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(6B) The import of post-industrial or pre-consumer polyethylene wastes shall be permitted with a requirement to export at least thirty five percent of the total annual turnover”;

6. In rule 29 of the said rules, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(7) The operation of the platform established under sub-paragraphs (6) shall be operated and regulated in accordance with the guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board.

(8) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to hundred per cent and thirty per cent, respectively of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility under rule 39.

(9) The exchange price of extended producer responsibility certificates between registered entities through the portal shall be between the highest and lowest prices referred to in sub-rule (8).”.

7. In rule 30 of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(5) **Relaxation of timelines for filing of returns.** – The Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest or for effective implementation of these rules, by order, relax any period within which any return or report is to be filed under these rules by a producer, collection agents, recycler and used oil importer thereof, for a further period not exceeding nine months.”

8. In Schedule III to the said rules, in Part B, under item number B3, against Basel No. 3011, after the entry Polyethylene terephthalate the following entry shall be inserted, namely:-

- Polysiloxanes - only post-industrial or pre-consumer

9. In Schedule VI to the said rules, under item number B3, against Basel No. 3011 in column (2) the word Polysiloxanes shall be omitted;

10. In Schedule IX to the said rules,

(i) after sub-paragraph (5) of paragraph 6, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: -

“(6) The Central Government may by, order establish one or more platform for exchange or transfer of extended producer responsibility certificates in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

(7) The operation of the platform established under sub-paragraphs (6) shall be operated and regulated in accordance with guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board.

(8) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to hundred per cent and thirty per cent, respectively of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility obligation under paragraph 10 of this Schedule.

(9) The exchange price of extended producer responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and lowest prices referred to in sub-paragraph (8).”.

(ii) after paragraph 8 and entries relating thereto, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“8. (A) **Responsibilities of the retreader.** - (1) All the retreader shall submit on monthly basis the information regarding quantity of waste tyres re-treaded, retreading certificate generated therefore and such other relevant information on the portal.

(2) All the retreader shall file annual and quarterly returns in the Form as specified on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the return relates.”

(iii) after sub-paragraph (5) of paragraph 9, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: -

“(6) **Relaxation of timelines for filing of returns.** – The Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest or for effective implementation of these rules, by order, relax any period within which any return or report is to be filed under these rules by a producer, recycler and retreader thereof, for a further period not exceeding nine months.”

11. In Form 2 to the said rules, under heading A. General conditions of Authorisation, after clause 14, the following clause shall be inserted, namely:-

“15.(i) Any hazardous waste generated sporadically due to unforeseen conditions such as fire, natural calamity, chemical spill, etc, the occupier shall send such waste to the operator of disposal facility or actual user for the purpose of these rules.

(ii) The hazardous waste which is routinely generated in the consented manufacturing process in the authorised premises shall be included in the authorisation within one month from identification of any such waste:

Provided that it shall not apply in the case when production is beyond the consented capacity.”.

[F. No. 23/151/2022-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note.** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 395(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2016 and last amended vide number G.S.R. 677(E) dated the 18<sup>th</sup> September, 2023.